परिवहन विभाग

क्रमांक ...(112)/परि/नियम/14/ 455-0

दिनांक: 26.03.2014

जिला कलक्टर,

.......................।

विषय:- राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम 1956 एवं नियम 1957 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत।

मैं आपका ध्यान दिनांक 21/03/2013 को टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में हुई नाव दुर्घटना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। बांधों, तालाबों, झीलों एवं नदियों में नावों की दुर्घटना से न केवल जनहानि होती है, अपितु प्रशासन को भी जन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।

राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956 एवं इस अधिनियम के तहत बने राजस्थान नौचालन विनियमन नियम, 1957 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान एवं इनके अधीन जारी निर्देश निम्न प्रकार से हैं:

इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य की किसी भी नदी अथवा झील में मनोरंजन, किराये हेतु या अन्यथा में किसी नौका का संचालन बिना सक्षम अधिकारी से उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना नहीं करेगा तथा उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी नौका का उपयोग उपयुक्तता प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों के तहत ही करेगा।

राजस्थान नौचालन विनियमन नियम, 1957 के नियम 4(3) के तहत परिवहन विभाग का सम्बन्धित परिवहन निरीक्षक उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी नियुक्त है। उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने/ नवीनीकरण हेतु आवेदन इन नियमों में वर्णित फॉर्म संख्या 1 में नौका के स्वामी द्वारा किया जाता है एवं यह प्रमाण पत्र इन नियमों में वर्णित फॉर्म संख्या 2 में वर्णित प्रारूप में जारी किया जाता है। परिवहन निरीक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी नौसेना के अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट जो कि

नियमों में वर्णित फॉर्म संख्या 7 में होगी, के प्राप्त होने पर ही उपयुक्तता प्रमाण पत्र समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की शर्त पर जारी

परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर सम्पूर्ण राज्य हेतु निम्नलिखित नौसेना के अधिकारियों को नावों के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है--

श्री बालेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर।
श्री नरोत्तम, 14, सरस्वती नगर, माली कॉलोनी, उदयपुर।
श्री रविन्द्र कुमार पाण्ड्या, 73, शेशन नगर, सेक्टर 12, पोस्ट सवीना, तहसील-गिर्वा, जिला उदयपुर।
श्री डी एम वर्मा ,339, साउथ ब्लॉक, अलवर।
श्री गुरूदयाल, प्लांट नं 12, बालाजी टाउन, खेड़ली फाटक, कोटा।
श्री सत्यनारायण शर्मा ,रेजीमेन्ट इण्डिया नेवी, 278 शिव राड, सातानाडा, जिला जोधपुर।
श्री राज किशोर सैनी, मकान नं 33, अभियंता नगर, तीसरी गली, चोरसीया बांस रोड, जिला अजमेर।

उक्त अधिकारियों को निरीक्षण हेतु 200/- रूपये का शुल्क नौका स्वामी से प्राप्त करने अधिकृत किया गया है। उपरोक्त वर्णित नौसेना अधिकारीयों का विवरण सम्बन्धित क/जिला परिवहन अधिकारी से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 7 के तहत नौका स्वामी के लिए नौका का लाइसेंस प्राप्त करना इसेंस की शर्तो की पालना करते हुए नौका का संचालन किया जाना आवश्यक है। म कि धारा 8 के तहत दिनांक 13/07/1998 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी न्धित जिला परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार मे नदी, झील इत्यादी स्थित है, इसेंसिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है । यह लाइसेंस नियमो में वर्णित फॉर्म संख्या निर्धारित शर्तो एवं समय-समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध मे जारी दिशा की पालना की शर्त पर जारी किया जाता है। इस लाइसेंस की कुछ महत्वपूर्ण शर्ते सार है:-

लाइसेंस की वैधता अवधि मे निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि नौका संचालन नहीं है तो उक्त नौक का संचालन तुरन्त रोक दिया जावेगा, जब तक की उसे

जारी नही करता है। अगर कोई नौका सम्बन्धित विभाग की सहमति के बिना संचालित होती हुई पाई जाती है, तो ऐसी नौका का लाइसेंस स्वत: ही निरस्त माना जावेगा।

6. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि कुछ स्थानों पर नौकाओं का नियमित प्रयोग आवागमन के साधनों के रूप में किया जाता है। कई ऐसे स्थान भी है जहां नदी, झील इत्यादि में नौकाओं का संचालन पर्यटन, धार्मिक एवं मनोरंजन इत्यादि के प्रयोजन हेतु किया जाता है। नौकाओं के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से ही राजस्थान नौचालन विनियम नियम 1957 के नियम 7 जो नावों के निरीक्षण, नावो के दस्तावेजों एवं नावो में वहन किये जा रहे सामान इत्यादी के निरीक्षण से सम्बन्धित है, को दिनांक 13/07/1998 को संशोधित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा इस नियम को वृहद स्वरूप दिया जाकर राज्य के सात विभागों के अधिकारियों को जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नदियों, झीलों इत्यादी से है, को नाव एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। इस नियम में परिवहन विभाग का उपनिरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी को, राजस्व विभाग का नायब तहसीलदार एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी को, पुलिस विभाग के हेडकॉन्सटेबल एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी को, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचांई विभाग के कनिष्ठ अभियंता एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी को, मत्स्य विभाग के निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी को एवं पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत प्रसार अधिकारी एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी को नाव एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेजों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्राय: इन विभागों में पारस्परिक समन्वय का अभाव देखा गया है जिससे अवैध नौका संचालन पर प्रभावी अकुंश नही लग पाता है एवं नावों से दुर्घटना की संभावना सदैव ही बनी रहती है।

मेरा यह मानना है कि जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में सम्बन्धित विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय का कार्य आपके स्तर पर कार्य योजना बनाकर प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। अत: मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आपके स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जावे जिसमें सम्बन्धित विभागों के जिला स्तर के अधिकारियो को सम्मिलित कर नौकाओं से सम्बन्धित नियमों/ प्रावधानों की पालना नियमित रूप से सुनिश्चित की जावे। कार्य योजना में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जा सकता है :-

ऐसी परिस्थिति में नौका को इस प्रकार नष्ट कर दिया जाय की उसका पुनः उपयोग जाना सभव ना हो।

झील इत्यादी में प्रवेश से पूर्व यात्रियों की सूची मय पूर्ण पते के दो प्रतियों में तैयार की जावेगी एक प्रति किनारे पर नाव के स्वामी या उसके किसी कर्मचारी द्वारा रखी जावेगी एवं एक प्रति नाविक के पास रहेगी। नौका के किनारे आने पर यात्रियों के सुरक्षित लौट कर आने का मिलान यात्री सूचियों से किया जावेगा।

सुरक्षा के लिए नाव में सवार प्रत्येक यात्री द्वारा सुरक्षा उपरकर(लाइफ जैकेट) पहन कर ही यात्रा की जावेगी।

नौका में किसी सहज दृश्य स्थान पर उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सदैव प्रदर्शित की जावेगी।

नौका में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन नही किया जावेगा।

जब तक विशिष्ट रूप से निर्देशित ना किया जावे तब तक सामान्यतः नौका का उपयोग सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व नही किया जावेगा।

नौका को उसी नाविक द्वारा चलाया जावेगा जिसे उपयुक्तता प्रमाण पत्र में नौका चलाने हेतु अधिकृत किया गया हो।

लाइसेंस को किसी भी समय सुनवाई का अवसर दिये बिना निलंबित किया जा सकेगा, यदि उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की राय में नौका का संचालन किया जाना असुरक्षित हो गया हो।

नौकाओं को उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में समय-समय परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर अवलोनार्थ है। इन दिशा निर्देशों के निर्देश संख्या 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सेंस युक्त नाव किसी ऐसी झील अथवा नहर जो राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन है तब तक संचालित नही की जा सकेगी जब तक की उक्त विभाग इस बाबत सहमति एवं लाइसेंस हेतु नाव की अनुरूपता (suitability) के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

8/6

3. जलाशयों एवं नदियों इत्यादी में नौकाओं के संचालन के स्थानों का चिन्हिकरण–

(i) जिले में अवस्थित विभिन्न जलाशयों का चिन्हिकरण किया जाकर उन्हें सूचीबद्ध किया जावे।

(ii) जिले में अवस्थित विभिन्न नदियों, बाधों, जलाशयों इत्यादि में उन स्थानो का चिन्हिकरण किया जावे जहां सामान्यत: नियमित रूप से नौकाओं का प्रयोग आवगमन के साधन के रूप में, पर्यटन स्थलों पर सैर करने , पिकनिक मनाने एवं अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमो में सम्मिलित होने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इन स्थानों की सूचना भी संकलित की जावे।

(iii) उपरोक्त जलाशयों इत्यादी के प्रबन्धन एवं रखरखाव हेतु नियंत्रक विभाग को भी चिन्हित कर उन्हें भी इस सम्बन्ध में उनके दायित्व का बोध कराते हुए तदानुसार कार्यवाही करते हुए निर्देशित किया जावे

(iv) पटवारी एव ग्रामसेवक स्तर पर सूचना एकत्रित कर उक्त सूचना का संग्रहण जिला स्तर पर संकलित किया जावे।

(v) जिन चिन्हित स्थानों पर नावो का संचालन होता है उन स्थानों पर लाइसेंस शुदा नावों की संख्या, उनका कंमाक, नौका की फिटनेस वैधता की अवधि, नाव की बैठक क्षमता, नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक यात्री को सैफ्टी जैकेट पहनने के निर्देश इत्यादी का लाइसेंस धारी व्यक्ति द्वारा एव उस जलाशय के प्रबन्धन एवं रखरखाव से सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी सहज दृश्य स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जावे।

4. जलाशयों इत्यादी पर नौका संचालन का प्रबन्धन:-

(i) जिला स्तर पर नौकायान से सम्बन्धित विभागो द्वारा सूचनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा जारी लाइसेंस/ फिटनेस प्रमाण पत्रों की, चिन्हित जलाशयों की, एवं जलाशयों के प्रबन्धन एव रखरखाव हेतु चिन्हित विभागों की सूचना का विभागों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान सुनिश्चित किया जावे।

(ii) लाइफ जैकेट के बिना नौका में सवारी ना करने का प्रचार–प्रसार का कार्य संबंधित विभागों द्वारा किया जावे।

iii) मछली पकड़ने के व्यापार में उपयोग में आने वाली नौका के नाविक/मछुआरें के पास मत्स्य विभाग से प्राप्त संख्यांकित प्रमाण पत्र आवयक रूप से हो तथा नौका केवल इसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जावे ऐसी नौका का यात्रियों के परिवहन हेतू उपयोग ना हो इसे सुनिश्चित किया जावे।

iv) परिवहन अधिकारी द्वारा नाव कि भार क्षमता के संकेतक के रूप में अंकित लाल लाईन सदैव जल सतह के ऊपर दृष्टिगोचर रहे।

v) नावों की जांच हेतू अधिकृत विभागों के अधिकृत कनिष्टतम स्तर के अधिकारियों के अलावा उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जलाशयों में नौकाओं के संचालन का निरीक्षण आवश्यक रूप से उनके द्वारा जिले में किये जाने वाले भ्रमण के कार्यक्रम के समय किया जावे।

vi) <u>अन्य कार्य:-</u>

सम्बन्धित विभागों की जिलाधीश स्तर पर आवश्यकतानुसार त्रैमासिक/मासिक बैठक का आयोजन किया जावे।

जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित कर संयुक्त उडन दस्तो का गठन किया जावे जो समय–समय पर जलाशयों का निरीक्षण का कार्य संपादित कर आवश्यक कार्यवाही करे।

जन प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया जावे की वे अपने क्षेत्र में अवैध नावों के संचालन की जानकारी होने पर तुरन्त सम्बन्धित विभाग के अधिकारीयों को सूचित करें एवं सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी इस पर त्वरित कार्यवाही करें।

आपदा प्रबन्धन के तहत क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर सुरक्षात्मक व्यवस्थापन के अन्तर्गत बचाव दल, गोताखोर, तैराक, सुरक्षा व संचार उपकरणों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जावे।

(ii) आम जन जागरूकता हेतु प्रेस का सहयोग प्राप्त किया जावे।

iii) चूँकि नियमानुसार नौकाओं की फिटनेस हेतु नौसेना के सक्षम अधिकृत अधिकारी से रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है वहीं राज्य में नौसेना के सेवानिवृत अधिकारियों की संख्या काफी कम है ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि यदि आपके जिले में नौसेना के भूतपूर्व अधिकारी नौकाओं के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किये जाने के इच्छुक हों तो उन अधिकारियों के नाम मय पते के तथा उनकी सहमति एवं अपनी अनुशंसा सहित विभाग को उपलब्ध करावें ताकि राज्य में नावों के निरीक्षण हेतु समुचित संख्या में नौसेना के अधिकारियों की उपलब्धता की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः प. 7(112) परि/नियम/14/45511 — 517
दिनांकः 26.03.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

(i) अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/मत्स्य विभाग, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार को भेजकर लेख है कि कृपया आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों को अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।
(ii) पुलिस महानिदेशक।
(iii) समस्त जिला कलक्टर।
(iv) समस्त अपर परिवहन आयुक्त जोन।
(v) मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
(vi) समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
(vii) रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)